

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 86 /2017-सीमाशुल्क (गै.टे)

नई दिल्ली, 14 सितंबर, 2017

सा.का.नि. (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतत् द्वारा, निर्देश देता है कि नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में दी गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं में उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के तरीके से संशोधन किया जाएगा।

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना संख्या- 82/ 2017- सीमाशुल्क (गै.टे), दिनांक 24.08.2017 (सा.का.नि. 1064 (अ) दिनांक 24.08.2017)	उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, अंक अक्षर और शब्द " 15 सितंबर, 2017" के स्थान पर अंक अक्षर और शब्द " 1 नवम्बर, 2017" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2.	अधिसूचना संख्या- 85 / 2017- सीमाशुल्क (गै.टे), दिनांक 07.09.2017 (सा.का.नि. 1136 (अ) दिनांक 07.09.2017)	उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, अंक अक्षर और शब्द " 15 सितंबर, 2017" के स्थान पर अंक अक्षर और शब्द " 1 नवम्बर, 2017" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 450/100/2017-सीमाशुल्क IV]

सत्यजीत माहती
निदेशक (आईसीडी)

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 82/2017- सीमाशुल्क (गै.टे), दिनांक 24.08.2017 को सा.का.नि. 1064 (अ) दिनांक 24.08.2017 और संख्या 85/2017- सीमाशुल्क (गै.टे), दिनांक 07.09.2017 को सा.का.नि. 1136 (अ) दिनांक 07.09.2017 के तहत प्रकाशित किया गया था।